19

ग्राम पंचायत, कोरों, विकास खण्ड सोलन ज़िला सोलन के

लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2018 से 31.03.2020 तक

भाग-I

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, **ग्राम पंचायत कोरों, विकास खण्ड सोलन, ज़िला सोलन** के लेखाओं अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 का अंकेक्षण कार्य हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे;

(i) **प्रधान**

क्रमांक	**नाम**	**कार्यकाल**
1	श्रीमती रेखा कश्यप	01.04.2018 से 31.3.2020 तक

(ii) सचिव

क्रमांक	**नाम**	**कार्यकाल**
1.	कु. आशा देवी	07.06.2017 से 31.3.20 तक

20

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत कोरों के लेखों अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा नं	राशि
1	गृहकर की बकाया वसूली हेतु शेष	6(i)	0.36
2	मोबाइल टावर शुल्क की वसूली न करना	6(ii)	0.39
3	दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष	6(iii)	0.04
4	खाता "ख" में अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अंतरित न करना	6(vii)	0.60
5	अनुदानों की उपयोग हेतु शेष राशि	7	15.34
6	नियमानुसारऔपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक सामग्री क्रय करना	8	5.20
7	क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक में प्रविष्टि/गणना न करना	9	5.20

भाग -दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण**

ग्राम पंचायत कोरों, विकास खण्ड सोलन, ज़िला सोलन के लेखाओं अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा अवधि 03.03.2021, से 26.03.2021 तक के दौरान निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज मण्डी समिति सोलन तथा ग्राम पंचायत के कोरों स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। लेखाओं

21

की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणाम आगामी पैरों मे समाविष्ट है :-

वितीय वर्ष	आय माह	व्यय माह
2018-19	03/2019	03/2019
2019-20	06/2019	01/2020

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत कोरों, विकास खण्ड सोलन, ज़िला सोलन के लेखाओं अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹5000 आँका गया जिसे **निदेशक, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009** को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:**जी.पी.(आडिट) कोरों/सोलन/2020-21-06** दिनांक **26.03.2021** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोरों से अनुरोध किया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति**

ग्राम पंचायत कोरों द्वारा यथा **परिशिष्ट-1** प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 के लेखाओं पर आधारित समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

22

वितीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2018-19	1076219.00	3514868.70	4591087.70	3055951.15	1535136.55
2019-20	1535136.55	2921252.57	4456389.12	2477463.83	1978925.29

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए थे| अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/18 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/18 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

(i) स्वः स्त्रोत

सचिव ग्राम पंचायत, कोरों द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया था तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण पंचायत निधि का प्रारम्भिक शेष ज्ञात करना सम्भव नहीं हो सका, जबकि, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है | अतः वर्णित खाते का नियमानुसार संधारण न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता "क" खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

(ii) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के

23

साथ मिलान करना अनिवार्य है। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.20 को अन्तशेष	1978925.29	1
2.	विभिन्न बैंकों में दिनांक 31.03.20 जमा राशि (निम्न विवरणानुसार)	1978925.29	2
3.	अन्तशेष में अन्तर	शून्य	

दिनांक 31.03.2020 को विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा

क्रमांक	अनुदान का नाम	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2020 की जमा शेष (₹)
1.	सामान्य निधि	JCC Bank, Solan	101834022000025	360347.00
2.	—do—	JCC Bank, Solan	101834022100010	511191.00
3.	---do---	JCC Bank, Solan	101834022000099	34927.00
4.	---do---	UCO Bank, Kumarhatti	05160100006359	93825.29
5.	14th FC	HDFC, Kumarhatti	50100168340822	977707.00
31.03.2020 को सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार हस्तगत शेष राशि				928.00
31.03.2020 को कुल शेष राशि {परिशिष्ट-2}				1978925.29

24

5 **रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था अर्थात इसमें न तो कोई इति शेष और न ही कोई अंतिम शेष दर्शाया गया था तथा ऐसी अवस्था में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि की सत्यता की पुष्टि भी सम्भव नहीं हो पाती | इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा तैयार आय-व्यय तालिका तथा तुलनपत्र की मदें भी पुर्णतः सत्यापित नहीं हो पाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः वर्णित अभिलेख को नियमानुसार संधारित न करने बारे वस्तु स्थति स्पष्ट करते हुए अब रोकड़ वही एवं खाताबहियों का नियमानुसार संधारण करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

6 **स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय के अंकेक्षण में पाई गयी अनियमितता**

(i). गृहकर की बकाया ₹0.36 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: **GP(Audit)Koron/SLN/2020-21-02 दिनांक** 03/03/2021 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत कोरों के पत्र क्रमांक: GP,Koron/ 2020-21-01 दिनांक 26.03.2021 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार **(परिशिष्ट-3)** दिनांक 31/03/2020 को गृहकर की बकाया **₹35,750/-** वसूली हेतु शेष थी परन्तु गृहकर के निर्धारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी अनुपस्थिति में वसूली हेतु शेष दर्शायी गयी राशि का सत्यापन अंकेक्षण में सम्भव न हो सका :-

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	सम्पति कर की वार्षिक राशि (₹)	सम्पति कर की कुल देय राशि (₹)	प्राप्त राशि	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
31.03.18	**सम्पति कर का वसूली हेतु राशि {गत शेष}**					**24550/-**
2018-19	308	50/-	15400/-	39950/-	19800/-	20150/-
2019-20	320	50/-	16000/-	36150/-	400/-	**35750/-**

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने के अतिरिक्त बकाया गृहकर की राशि की शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

(ii) मोबाइल टावर शुल्क की ₹0.39 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: **GP(Audit)Koron/SLN/2020-21-02 दिनांक 03/03/2021** के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत कोरों के पत्र क्रमांक: GP,Koron/ 2020-21-01 दिनांक 26.03.2021 **(संलग्न परिशिष्ट-4)** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को मोबाइल टावर शुल्क **₹39,065/-** वसूली हेतु शेष था, जिसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

(iii) दुकानों के किराया ₹0.04 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: **GP(Audit)Koron/SLN/2020-21-02 दिनांक 03/03/2021** के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत कोरों के पत्र क्रमांक: GP,Koron/ 2020-21-01 दिनांक 26.03.2021 **(संलग्न परिशिष्ट-5)** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को दुकानों के किराया **₹3613/-** वसूली हेतु शेष था, परन्तु उक्त आय की मांग व् वसूली से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी अनुपस्थिति में वसूली हेतु शेष दर्शायी गयी राशि का सत्यापन अंकेक्षण में सम्भव न हो सका |

अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने के अतिरिक्त किराये की बकाया राशि की शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली करना भी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(iv). स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय ₹0.01 लाख को पंचायत कोष में जमा न करना

स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदों द्वारा प्राप्त ₹600/- की आय के रोकड़ बही में गणना नहीं की गयी थी जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है:-

Receipt Number	Dated	On Account Of	Amount Realised (₹)	Amount taken in Cash book (₹)	Amount less taken in CB (₹)	CBP
28011	10.07.2018	Marriage Registration Fees	200/-	Not taken in cash book	200/-	---
006907	12.06.2019	Not Mentioned	200/-	---do---	200/-	---
28254	18.07.2019	---do---	200/-	100/-	100/-	61
28255	18.07.2019	---do---	200/-	100/-	100/-	61
Income realized but not taken/deposited in Panchayat fund					**600/-**	

वर्णित अनियमितता अंकेक्षण **ज्ञापन संख्या: GP(Audit)Koron/SLN/2020-21-05 दिनांक 23/03/2021** के क्रमांक संख्यां 11 द्वारा ग्राम पंचायत के धयान में लायी गयी थी जिसके प्रति उत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र संख्यां:GP,Koron/ 2020-21-01 26.03.2021 के क्रमांक 11 द्वारा उक्त राशि को पंचायत कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे आश्वस्त किया गया | अतः प्रस्तुत प्रति उत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

27

(v). मांग एंवम वसूली पंजिका का संधारण न करना

स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एंवम वसूली पंजिका"** का संधारण नहीं किया जा रहा था तथा ऐसे में **गृहकर शुल्क, मोबाइल टावर शुल्क, दुकानों के किराये तथा पंचायत को अन्य करों/शुल्कों** से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय अवं बकाया शेष का पूर्ण सत्यापन अंकेक्षण में सम्भव न हो सका | इस सम्बन्ध में अंकेक्षण **ज्ञापन संख्या:** GP(Audit)Koron/SLN/2020-21-05 **दिनांक** 23/03/2021 के क्रमांक 3(iv) द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रति उत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र संख्या:GP,Koron/ 2020-21-01 26.03.2021 के क्रमांक 11 द्वारा उक्त सूचना/अभिलेख को नियमानुसार तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करने बारे आश्वस्त किया गया | अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए |

(vi). स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय की अनुमोदित दरें अंकेक्षण हेतु पस्तुत न करना

स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय के अंकेक्षण के दौरान स्वः स्त्रोत (गृहकर इत्यादि) से सम्बन्धित अनुमोदित दरों की प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई जिसकी अनुपस्थिति में पंचायत को सम्बन्धित स्त्रोत से देय तथा प्राप्त आय की सत्यता बारे पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका | इस सम्बन्ध में अंकेक्षण **ज्ञापन संख्या:** **GP(Audit)Koron/SLN/2020-21-05 दिनांक 23/03/2021** के क्रमांक 3(v) द्वारा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रति उत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र संख्या:GP,Koron/ 2020-21-01 26.03.2021 के क्रमांक 11 द्वारा उक्त सूचना/अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे आश्वस्त किया गया| अतः अपेक्षित सूचना/अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

28

(vii) पंचायत के खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.60 लाख को नियमानुसार खाता "क" में अंतरित न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट, लेखे, संकर्म, कराधान, व् भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खात "ख" में अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि स्वः संसाधनों के खाता "क" में अंतरित किया जाना अपेक्षित है| अंकेक्षण के दौरान पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार खाता **"ख"** {14th FC} में अर्जित ब्याज ₹59923/- को खाता **"क"** में अंतरित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है ।

दिनांक	**प्राप्त ब्याज (₹)**	**रोकड़ पृष्ठ संख्या**
25.04.2018	8262/-	20
02.11.2018	5109/-	23
03.11.2018	4828/-	23
01.01.2019	6697/-	26
05.04.2019	8672/-	35
30.06.2019	5832/-	38
01.10.2019	9117/-	39
01/01/2020	11406/-	43
कुल ब्याज	**59923/-**	

29

इस सन्दर्भ में **अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:जी.पी.(आडिट)कोरों/सोलन/2020-21-05 दिनांक 23.03.2021 क्रमांक** 2(iii) द्वारा ग्राम पंचायत से स्पष्टीकरण माँगा गया था जिस बारे कोई भी सन्तोषजन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः उक्त राशि को पंचायत के खाता "**ख**" से खाता "**क**" में अंतरित करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये|

7 अनुदानों की ₹15.34 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षण **ज्ञापन संख्या: GP(Audit)Koron/SLN/2020-21-01 दिनांक 03/03/2021** के **क्रमांक** 6 द्वारा अनुदानों की अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त/उपयोग तथा उपयोग हेतु शेष राशि बारे सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रति उत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र संख्या:GP,Koron/2020-21-01 26.03.2021 के **क्रमांक** 4 **(संलग्न परिशिष्ट-6)** द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2020 को **₹15,34,168/-** उपयोग हेतु शेष थे । अतः प्राप्त अनुदानों की राशि को विकास कार्यों पर स्वीकृत पत्रों की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर खर्च करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ग्रामीणों को स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वन से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित न रहना पड़े |

8 नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.19 लाख की स्टोर/स्टॉक सामग्री क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000/- से अधिक तथा **₹50,000/-** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स** (Quotations) आमंत्रित किया जाना तथा **₹50,000/-** से अधिक

30

राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित(Tenders)** किए जाने का प्रावधान है, ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके| इसी प्रकार नियम 67(3)(a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा **निविदा/कोटेशन्स** आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखों की विस्तृत जांच हेतु चयनित माह में पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों प्रावधानों के प्रतिकूल कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही **संलग्न परिशिष्ट-7** में वर्णित ₹519323 की स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय किया गया था, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस बारे **अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.(आडिट)कोरों/सोलन/ 2020-21-05** दिनांक **23.03.2021** क्रमांक संख्या (5) द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्या: GP, Koron/2020-21-01 दिनांक 26.03.2021** द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों के अनुसार निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थी परन्तु आश्वस्त किया गया कि भविष्य में पंचायत की प्रत्येक खरीद उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही की जाएगी| अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये |

9 **क्रय स्टोर/स्टॉक सामग्री ₹5.19 लाख की भण्डार रजिस्टरों में गणना/प्रविष्टि न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है परन्तु लेखों की विस्तृत जांच हेतु चयनित

मासों में पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रय की गई ₹519343/- (संलग्न परिशिष्ट-7) की विभिन्न मदों की गणना/प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गयी थी जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वर्णित अनियमितता अंकेक्षण **ज्ञापन संख्यां: जी.पी.(आडिट) कोरों/सोलन/ 2020-21-05** दिनांक 23.03.2021 क्रमांक संख्यां (6) द्वारा ग्राम पंचायत के ध्यान में लायी गयी थी, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्यां:GP,Koron/2020-21-01 दिनांक 26.03.2021** द्वारा अंकेक्षण को आश्वस्त किया गया कि भविष्य में स्टॉक सामग्री की खरीद/निर्माण सामग्री की खपत उपरोक्त नियमों के प्रावधानानुसार सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के उपरान्त ही की जाएगी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः क्रय सामग्री व् इसके उपयोग सम्बन्धी प्रविष्टियाँ नियमानुसार सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में अद्यतन करके उन्हें सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाया तथा वर्णित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये|

10 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नतालिकानुसार निष्पादित /अधिकतर विकास कार्यो के निष्पादन से सम्बन्धित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका:-

32

क्रमांक	विकास कार्य का नाम	विवरण
1	निर्माण सोकपिट 2 नं उप्परली बेड	14^{th} FC
2	अपवर्धन शमशानघाट कनाध्यालग	14^{th} FC
3	अपवर्धन बांउड़ी शापड़ी कानाधलेच	14^{th} FC
4	अपवर्धन पंचायत घर	14^{th} FC
5	स्ट्रीट लाईटें	14^{th} FC
6	निर्माण RWH टैंक रोशन लाल दयाल सिंह	मनरेगा
7	निर्माण रास्ता सड़क से नेतर सिंह के घर तक कोरों	मनरेगा
8	टैंक वीर सिंह तुलसी राम	मनरेगा
9	भूमि सुधार व् टैंक गुलाब सिंह लघेच	मनरेगा

इस सन्दर्भ में **ज्ञापन संख्यां: जी.पी.(आडिट)कोरों/सोलन/2020-21-05** दिनांक **23.03.2021** क्रमांक संख्यां **(7)** द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्यां:GP,Koron/2020-21-01 दिनांक 26.03.2021** द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा सभी कार्य प्रशासनिक अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति व् प्राक्कलन के अनुसार ही किये गए है जिनसे सम्बन्धित उपरोक्त अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं, जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिया जायेगा | अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये |

(33)

11 नियमानुसार बचत बैंक खातों में जमा अधिक्ये/Surplus Funds को कुशल वित्तीय प्रबंधन से सावधि जमा में निवेश न करके अतिरिक्त ब्याज आय की हानि

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गयी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश करके पंचायत कोष के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन करने का प्रावधान है | ग्राम पंचायत के सामान्य निधि के बचत बैंक खातों के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त निधि में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹500000/- से अधिक राशि शेष थी, जिसे अल्प-अवधि की जमा योजना (STDR) में निवेश करके पंचायत निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता था परन्तु पंचायत द्वारा पंचायत निधि का कुशल वित्तीय प्रबंधन से निवेश न करने के कारण पंचायत निधि को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय की हानि उठानी पड़ी/पड़ रही है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसे **अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:जी.पी.(आडिट) कोरों/सोलन/ 2020-21-05** दिनांक 23.03.2021 क्रमांक 9 द्वारा ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्यां:GP,Koron/2020-21-01 दिनांक 26.03.2021** द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यद्यपि अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि अल्प-अवधि की जमा योजना (STDR) में निवेश नहीं की गयी थी परन्तु भविष्य में पंचायत की आवश्यकताओं को धयान में रखते हुए अतिरिक्त धन राशि को (STDR) में निवेश करके पंचायत निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन करना सुनिश्चित किया जायेगा | अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर

34

अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

12 **सामान्य निधि के लिए नियमों के विरुद्ध चार बचत बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना**

हिमाचल प्रदेश राज वित् बजट लेखे संकर्म कराधान व् भत्ते नियम 2002 के नियम 7(1) व् (2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बचत बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वः संसाधन से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत कोरों में सामान्य निधि के लिए गत पैरा संख्यां 5(i) में वर्णित एक के स्थान पर चार खाते खोले गए हैं जिस सन्दर्भ में **ज्ञापन संख्यां: जी.पी.(आडिट)कोरों/सोलन/2020-21-05** दिनांक **23.03.2021** के क्रमांक संख्यां **(13)** द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था, जिसके प्रतिउतर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्यां: जी.पी./कोरों/2020-21-01** दिनांक 26.03.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त बारे उचित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा| अतः सामान्य निधि के लिए नियमों के विरुद्ध एक से अधिक खोले गए बचत बैंक खातों को तुरन्त बन्द करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

13 **नियमानुसार विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था, जोकि अनियमित है जिस बारे **अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:जी.पी.(आडिट) कोरों/सोलन/2020-21-05** दिनांक **23.03.2021** क्रमांक 13 द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउतर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र

35

संख्या:GP,Koron/2020-21-01 दिनांक 26.03.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया कि निम्नतालिका में दर्शाए गए अभिलेख/रजिस्टरों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया/जा रहा है:-

1. इन्वेंटरी रजिस्टर |
2. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर |
3. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
4. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर |
5. बिल व् आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
6. चेक इशू रजिस्टर |
7. निवेश रजिस्टर |

अतः नियमों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अपेक्षित समस्त अभिलेख का रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

14 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित पाई गई अनियमिताएं

रसीद बुकों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अधिकतर रसीद बुकों पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, जबकि रसीदों पर की गई काट-पीट तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था| इसके अतिरिक्त रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का भी सही ढंग से संधारण नहीं किया जा रहा था जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुकों की वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके| इस

सन्दर्भ में **अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:जी.पी.(आडिट) कोरों/सोलन/ 2020-21-05** दिनांक 23.03.2021 क्रमांक 14 द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउतर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्यां**:GP, Koron/2020-21-01 **दिनांक** 26.03.2021 द्वारा अंकेक्षण के दौरान उपयोग में लाई गयी रसीद बुकों की सूची प्रस्तुत की गई जोकि की **{परिशिष्ट-8}** पर संलग्न है तथा उपरोक्त बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए आश्वस्त किया गया कि भविष्य में उपरोक्त नियमों की अनुपालना करते हुए ही अभिलेख का रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जायेगा।

15 बिल-वाउचर तैयार किये बिना पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मचारियों को ₹0.46 लाख के मानदेय का भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया कि चयनित माह 01/2020 में दिनांक 06.01.2020 को सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्यां 75 पर निम्नतालिकानुसार पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मचारियों को **₹46380/-** के मानदेय/वेतन का भुगतान बिल/वाउचर तैयार/पारित किये बिना ही किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है जिस सन्दर्भ में **अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:जी.पी.(आडिट) कोरों/सोलन/2020-21-05** दिनांक **23.03.2021** क्रमांक 9 द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउतर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्यां:GP,Koron/2020-21-01 दिनांक 26.03.2021 के क्रमांक** 10 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान मानदेय का भुगतान मानदेय पंजिका प्राप्तकर्ता रसीद/हस्ताक्षर करवाकर ही किया गया है परन्तु भविष्य में मानदेय का नियमानुसार बिल/वाउचर पारित करके ही करने बारे आश्वस्त किया गया।

37

क्रमांक	पंचायत प्रतिनिधि का नाम	पद	अवधि 04/2019 से 09/2019 की मानदेय की बकाया राशि (₹)	माह 10/2019 तथा 11/2019 का मानदेय (₹)	भुगतान की गई कुल राशि (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती रेखा कश्यप	प्रधान	3000/-	9000/-	12000/-
2	श्री कुलदीप सिंह	उप प्रधान	3000/-	6000/-	9000/-
3	श्री राज कुमार	पञ्च	120/-	1000/-	1120/-
4	श्री मुन्नीलाल	पञ्च	120/-	1000/-	1120/-
5	श्रीमती लता देवी	पञ्च	120/-	1000/-	1120/-
6	श्रीमती मधु देवी	पञ्च	120/-	1000/-	1120/-
7	श्रीमती सरोज बाला	सिलाई अध्यापिका	------	12600/-	12600/-
8	श्री अमर सिंह	चौकीदार	------	8300/-	8300/-
9	**कुल भुगतान**		**6480/-**	**39900/-**	**46380/-**

अतः प्रस्तुत प्रत्युतर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।

16 **रोकड़ बही के कुल योग में पाए गए अन्तर/त्रुटियों तथा कटिंग/ओवरराईटिंग बारे**

अंकेक्षण के दौरान पंचायत की सामान्य निधि की रोकड़ बही में **संलग्न परिशिष्ट-9** में दर्शाए गए विवरणानुसार प्राप्ति तथा भुगतान के योग में

काफी अन्तर पाए गए, साथ ही रोकड़ बही में बहुत से स्थानों पर कटिंग/ओवरराईटिंग भी की गई थी जिसे अंकेक्षण के दौरान न तो सही किया गया और न ही कटिंग/ओवरराईटिंग को पंचायत प्रधान से सत्यापित करवाया गया था {यद्यपि कुल योग में पाए गए अन्तर का अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की तैयार की गई वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है} । इस सन्दर्भ में **अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:जी.पी.(आडिट)कोरों/ सोलन/2020-21-05** दिनांक 23.03.2021 के क्रमांक 12 द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्यां:GP,Koron/2020-21-01 दिनांक** 26.03.2021 **के क्रमांक** 12 द्वारा स्पष्ट किया गया कि रोकड़ बही के योग में पाई गई त्रुटियों/कटिंग/ ओवरराईटिंग को दुरुस्त करके तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिया जायेगा । अतः उपरोक्त बारे वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये|

17 **भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना**

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा अनुपालना नहीं की जा रही थी । इस सन्दर्भ में **अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:जी.पी.(आडिट) कोरों/सोलन/ 2020-21-05** दिनांक **23.03.2021** क्रमांक 15 द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र संख्यां:GP,Koron/2020-21-01 **दिनांक 26.03.2021** द्वारा दिनांक 31.03.2020 को पंचायत के स्टॉक की सूची प्रदान की गई जोकि {**परिशिष्ट-10**} पर संलग्न है परन्तु

(39)

भंडार की सामग्री का उपरोक्त नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था जिस बारे अब अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें |

18 **विविध अनियमितताएं:-**

(i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा था;

(ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 की अनुपालना करते हुए प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया जा रहा था; तथा

(iii) व्यय भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद प्राप्त नहीं की गई/जा रही है|

उपरोक्त अनियमितताओं बारे **अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां:जी.पी. (आडिट)कोरों/सोलन/2020-21-05** दिनांक **23.03.2021** क्रमांक 16 (i)(ii)(iii) द्वारा ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउतर में सचिव ग्राम पंचायत कोरों ने पत्र **संख्यां:GP,Koron/2020-21-01 दिनांक 26.03.2021** द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए आश्वस्त किया गया कि भविष्य में उपरोक्त नियमों की अनुपालना करते हुए अभिलेख का रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा | अतः प्रस्तुत प्रत्युतर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए |

(40)

19 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु सभी लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था।

20 **निष्कर्ष:-** पंचायत के लेखाओं का नियमानुसार रख-रखाव व सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

का० प्रति०
18 SEP 2021

4680-4683

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15)(4) 52/2021 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० कुसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन जिला सोलन, हि०प्र०।
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि०प्र०।
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कोरों, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 SEP 2021

(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

का० प्रति०

(51)

{पैरा संख्या: 4 से सन्दर्भित}

परिशिष्ट-1

ग्राम पंचायत कोरों, विकास खण्ड व जिला सोलन
की वर्ष 2018-19 व 2019-20 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त राशि	कुल	भुगतान	अन्तिम शेष
2018-19	1076219.00	3514868.70	4591087.70	3055951.15	1535136.55
2019-20	1535136.55	2921252.57	4456389.12	2477463.83	1978925.29

ग्राम पंचायत कोरों, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन
की वर्ष 2018-19 व 2019-20 की समेकित वित्तीय स्थिति

2018-19					
विवरण	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
सामान्य निधि	511995.00	1631404.00	2143399.00	1418159.45	725239.55
14th FC	564224.00	920807.00	1485031.00	675134.00	809897.00
मनरेगा	------	962657.70	962657.70	962657.70	------
कुल योग	**1076219.00**	**3514868.70**	**4591087.70**	**3055951.15**	**1535136.55**
2019-20					
सामान्य निधि	725239.55	1007536.00	1732775.55	731557.26	1001218.29
14th FC	809897.00	1104453.00	1914350.00	936643.00	977707.00
मनरेगा	------	809263.57	809263.57	809263.57	------
कुल योग	**1535136.55**	**2921252.57**	**4456389.12**	**2477463.83**	**1978925.29**

प्रधान
ग्राम पंचायत कोरों कैंथड़ी
विकास खण्ड सोलन, जि० सोलन (हि०प्र०)

{पैरा संख्यां: 5(i) से सन्दर्भित}

परिशिष्ट-2

ग्राम पंचायत कोरों, विकास खण्ड व जिला सोलन के बचत/बैंक खातों में 01.04.2018 तथा 31.03.2020 को शेष राशि का ब्यौरा

अनुदान	बैंक का नाम	खाता संख्या	01.04.2018	31.03.2020
सामान्य निधि	JCC Bank, Solan	101834022000025	350322.00	360347.00
---do---	JCC Bank, Solan	101834022100010	------	511191.00
---do---	JCC Bank, Solan	101834022000099	31264.00	34927.00
---do---	UCO, Kumarhatti	05160100006359	129448.00	93825.29
14th FC	HDFC, Kumarhatti	50100168340822	564224.00	977707.00
सामान्य निधि की रोकड़ बही के अनुसार हस्तगत शेष			961.00	928.00
01.04.2018 और 31.03.2020 को कुल शेष राशि			**1076219.00**	**1978925.29**

नोट:- उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए बचत खाता संख्यां: 101834022000025 तथा बचत खाता संख्यां: 50100168340822 के आरम्भिक शेष उक्त खातों में रोकड़ बही अनुसार 31.03.2018 से पूर्व की गई लेन-देन की प्रविष्टियों के निम्नानुसार समायोजन करने के उपरान्त दर्शाये गए हैं|

(i). Saving Bank A/C No: 101834022000025

Actual balance of A/C as per Pass book as on 31.03.2018	**396766.00**
Cheque No.158117 dated 19.03.2018 cleared on 09.04.2018	(-)40050.00
Cheque No.158119 dated 28.03.2018 cleared on 03.04.2018	(-) 6394.00
Therefore balance of A/C taken as on 01.04.2018	**350322.00**

(ii). Saving Bank A/C No: 50100168340822

Actual balance of A/C as per Pass book as on 31.03.2018	**732591.00**
Cheque No.000050 dated 27.03.2018 cleared on 04.04.2018	(-)6024.00
Cheque No.000035 dated 07.02.2018 cleared on 10.04.2018	(-)28764.00
Cheque No.000049 dated 27.03.2018 cleared on 10.04.2018	(-)55656.00
Cheque No.000029 dated 22.12.2017 cleared on 12.04.2018	(-)16935.00
RTGS dated 31.03.2018 cleared on 25.04.2018	(-)22775.00
RTGS dated 31.03.2018 cleared on 25.04.2018	(-)38213.00
Therefore balance of A/C taken as on 01.04.2018	**564224.00**

Ashu
सचिव
ग्राम पंचायत कोरों कैम्प
विकास खण्ड सोलन, जि० सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट-3 [पैरा संख्या:- 6(i) से सन्दर्भित]

ग्राम पंचायत कोरो कैंथडी सम्पति कर सुचना वर्ष 2018.2019

क्र0 सं0	वर्ष	कुल परिवार	दर	गत शेष बकाया	मांग रूपऐ में	कुल	संग्रहण	बकाया
1	2019-2020	308	50	24550	15400	39950	19800	20150

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जि० सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट – 3 [पैरा संख्या : 6(i)]

ग्राम पंचायत कोरो कैंथडी सम्पति कर सुचना वर्ष 2019.2020

क्र0 सं0	वर्ष	कुल परिवार	दर	गत शेष बकाया	मांग रूपऐ में	कुल	संग्रहण	बकाया
1	2019-2020	320	50	20150	16000	36150	400	35750.

Asha
सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जि० सोलन (हि०प्र०)

(45) परिशिष्ट – 4 (परिशिष्ट पैरा- 6(ii) से सन्दर्भित)

Gram Panchayat Koron Kainthri Mobile Tower Report

Sr. no	Name of Mobile Company	Date of Installation	Amount Due on 01/04/2018	Amount due during Received during Amount Recoverd				Amount Recoverd as 31-03-2020
				2018-2019	2019-2020	2018-2019	2019-2010	
01	Vodaphone	25-05-2008	-----	7813	7813	----	----	15626
02	Bharti Infatell	2008	......	7813	7813	6250	....	9376
03	BSNL	2010	......	6250	7813	.....	....	14063

Total => 39065/-

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जि० सोलन (हि०प्र०)

(46)

परिशिष्ट – 5 (पैरा संख्या: 6 (iii) से सन्दर्भित)

Gram Panchayat Koron, Development Block and district Solan {H.P.}

Detail of Income on account of shop rent outstanding as on 31.03.2020

Shop No.	Name of shopkeeper	Rent Due	Remarks
1	Sh. Om Prakash	---Nil--	Shop vacant during 01.10.2017 to 30.06.2019 and Occupied by Sh. Om Prakash w.e.f. 01.07.2019
2	Tara Devi	613/-	Up to 07.05.2018 Rent @ 500/-pm Outstanding for the period 01.04.18 to 07.05.2018
2	Veterinary Assistant Sumit kumar	------	Shop Occupied on 08.05.2018 but nothing paid by them during/up to 31.03.2020
3	Smt. Ram kali	Nil	Shop Vacated on 13.05.2017 and remains vacant till June, 2019
3	Sh. Om Prakash	Nil	Shop Occupied on 01.07.2019
4	Sh. Naresh kumar	3000/-	Shop Occupied on 17.06.2019 and Rent @ 500/-pm amounting to Rs.3000/-was outstanding on 31.03.2020.
Amount of Rent Outstanding as on 31.03.2020		**3613/-**	

Note:- All shops have been rented on monthly rent of **Rs.500/-** as per agreement done with them.

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जि० सोलन (हि०प्र०)

(22)

(47)

परिशिष्ट-6 [पैरा संख्या: 7 से सन्दर्भित]

Gram Panchayat Koron Development Block and District Solan (HP)

Detail of Grant in Aid Received and utilised during 01.04.18 to 31.03.2020

Name of Head/Development Work	Op. Balance	GIA	Expenditure	Closing balance
Financial year 2018-19				
C/o Path from village Koro Patta Ghat	-------	198000/-	198000/-	------
C/O road and path village Changer	-------	50000/-	------	50000/-
C/O Ambulance Road Kainthrighat to goul	-------	200000/-	------	200000/-
Reconstruction of path Koro Patta Ghat	-------	50000/-	36325/-	13675/-
C/O Pakka road Kainthri from main road	-------	170248/-	114862/-	55386/-
C/O Hall at Patta ghat	50000/-	------	38880/-	11120/-
C/O link Road uparly Padgyanni	395/-	49000/-	49395/-	---Nil---
C/O Metalling and Tarring L/R Kainthari	(-)4855/-	49000/-	44145/-	---Nil---
C/O Community Hall Laghej SH: Kitchen	------	148500/-	143335/-	5165/-
C/O Community Hall Laghej	19439/-	98000/-	117439/-	---Nil---
C/O Ambulance road Chamdi	100000/-	------	89376/-	10624/-
C/O CC Koron	17634/-	------	-------	17634/-
14th FC	564224/-	920807/-	675134/-	809897/-
Total:-	**746837/-**	**1933555/-**	**1506891/-**	**1173501/-**
Financial year 2019-20				
C/O road and path village Changer	50000/-	------	22293/-	27707/-
Common Service Centre	-------	500000/-	-------	500000/-
C/O Ambulance road Chamdi	10624/-	------	10624/-	---Nil---
Reconstruction of path Koro Patta Ghat	13675/-	49000/-	62675/-	---Nil---
C/O Pakka road Kainthri from main road	55386/-	------	55386/-	---Nil---
C/O Ambulance Road Kainthrighat to goul	200000/-	-------	200000/-	---Nil---
C/O Community Hall Laghej SH: Kitchen	5165/-	------	5165/-	---Nil---
C/O Hall at Patta ghat	11120/-	------	------	11120/-
C/O CC Koron	17634/-	------	------	17634/-
14th FC	809897/-	1104453/-	936643/-	977707/-
Total:-	**1173501/-**	**1653453/-**	**1292786/-**	**1534168/-**

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जि० सोलन (हि०प्र०)

48

{पैरा संख्यां: 8 व् 9 से सन्दर्भित}

परिशिष्ट-7

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना तथा स्टोर/स्टॉक भण्डार रजिस्टरों में गणना/प्रविष्टि किये बिना क्रय की गई स्टोर/स्टॉक सामग्री का ब्यौरा

वाउचर संख्यां/दिनांक	फर्म का नाम/बिल संख्या	निर्माण सामग्री	मात्रा व् दर	राशि	CBP
14th FC (चयनित माह 03/2019)					
निर्माण सोकपिट 2 नं उप्परली बेड					
14/ 06.03.19	Sakshi Enterprises, vide their bill No.238 dates 02.03.19	Bricks	2500 @ 7.5	38430/-	30
		Aggregate	170ft. @ 55/-		
		Sand	170ft. @ 50/-		
		Total amount with 5% GST			
अपवर्धन शमशानघाट कनाध्यालग					
15/ 07.03.19	M/S Sandeep Bros. vide bill No. 275 dated 17.02.19	Square Pipe ½"	150.60 kg	31820/-	30
		D pipes	254.80 kg		
		10mm Steel	20kg		
		Channels 3"	60.40 kg		
		Total amount with 18% GST			
अपवर्धन बांउड़ी शापड़ी कानाधलेच					
16/ 07.03.19	Sakshi Enterprises, vide their bill No.249 dates 02.03.19	Sand	350ft. @ 50/-	28481/-	31
		Aggregate	170ft. @ 55/-		
		Total amount with 5% GST			
अपवर्धन पंचायत घर					
16/ 07.03.19	M/S Sandeep Bros. vide bill No. 275 dated 17.02.19	Square Pipe ¾"	480.60kg	41832/-	31
		Square Pipe ½"	190.20kg		
		Total amount with 18% GST			
14thFC (चयनित माह 01/2020)					
स्ट्रीट लाईटें					
19/ 28.01.20	HIMURJA vide Receipt No.74786 dated 22.02.2020	Street Lights	10 Nos.	182000/-	44
	Bill of HIMURJA Agency Not produced/put up to audit				

(49)

प्रशासनिक व्यय					
19/ 28.01.20	M/S Solan Digiteria vide Bill No. SD/66 dated 24.01.2020	Printer Leser Jet MFP1136	I Nos	14000/-	45
मनरेगा योजना (चयनित माह 03/2019)					
भूमि सुधार व् टैंक गुलाब सिंह लघेच					
13.03.2019	M/S Gian Singh Vide Inv.No.52 dated 07.01.2019	Sand	340cft.@50/-	40374/-	---
		Aggregate	390cft.@55/-		
		Total amount with 5% GST (Rs.1923/-)			
टैंक वीर सिंह तुलसी राम					
13.03.2019	M/S Baal Krishan Contracter Inv.No 63 dated 03.01.2019	Sand	425cft.@50/-	29531/-	---
		Aggregate	125cft.@55/-		
		Total amount with 5% GST			
निर्माण रास्ता सड़क से नेतर सिंह के घर तक कोरों					
13.03.2019	M/S Sakshi Enterpris Inv.No.211/16.10.18	Bricks	5500@7.50	43313/-	---
		Total amount with 5% GST of Rs.2063/-			
13.03.2019	------do------	Bricks	1500@7.50	28087/-	---
		Sand	200cft.@50/-		
		Aggregate	100cft.@55/-		
		Total amount with 5% GST (1337/-)			
निर्माण RWH टैंक रोशन लाल दयाल सिंह					
30.03.2019	M/S RST Const. Laghech, Inv. No.39 dated 08.01.2019	Sand	350cft.@50/-	41475/-	---
		Aggregate	400cft.@55/-		
		Total amount with 5% GST (Rs.1975/-)			
			कुल योग	**519343/-**	

[redacted]

Section Officer,
Local Audit Department,
Himachal Pradesh, Shimla-9

[redacted]

Section Officer,
Audit Department,
... Pradesh, Shimla-9

(50)

(पैरा संख्या: 14 से सन्दर्भित)

परिशिष्ट–8

ग्राम पंचायत कोरों विकास खण्ड एवम् जिला सोलन हिमाचल प्रदेश

अंकेक्षण अवधि के दौरान उपयोग में लायी गई तथा 31.03.2020 को स्टॉक में पड़ी रसीद बुक्स का ब्यौरा

SNo.	Receipt Book Number	Particulars	Stock Register Page No./Entry No.
1	**28001 to 28100**	**(12.04.18 to 26.02.19) GIA and House tax**	**2/11**
2	**28101 to 28200**	**(26.02.19 to 15.03.19) House tax**	**2/12**
3	**28201 to 28288**	**(22.03.19 to 31.03.20) GIA and House tax**	**2/13**
	28289 to 28300	Used After 01.04.2020 GIA and House tax	
4	28301 to 28400	Used After 12.06.2020 (GIA)	2/14
5	28401 to 28500	Used After 21.03.2021 House tax	2/15
6	28501 to 28600	Used After 22.03.2021 House tax	2/16
7	28601 to 28700	Used After 22.03.2021 House tax	2/17
8	28701 to 28800	Used After 22.03.2021 House tax	2/18
9	28801 to 28900	Used After 22.03.2021 House tax	2/19
10	21601 to 21700	Receipts books not put into use till date	2/20
11	21701 to 21800	------do------	2/21
12	21801 to 21900	------do------	2/22
13	143001 to 143100	------do------	03/01
14	143101 to 143200	------do------	03/02
15	143201 to 143300	------do------	03/03
16	143301 to 143400	------do------	03/04
17	143401 to 143500	------do------	03/05
18	143501 to 143600	------do------	03/06
19	143601 to 143700	------do------	03/07
20	143701 to 143800	------do------	03/08
21	143801 to 143900	------do------	03/09
22	143901 to 144000	------do------	03/10
23	006907	Used after 02.11.2016 continue	2/10

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों कैंथड़ी
वि०ख० सोलन, जि० सोलन (हि०प्र०)

51

{पैरा संख्यां: 16 से सन्दर्भित}

परिशिष्ट-9

सामान्य निधि की रोकड़ बही में पाई गई काट-पीट तथा प्राप्ति व भुगतान के कुल योग में पाए गए अन्तर का विवरण

Date	Actual Total of receipts/ Payment in Cash book	Total Shown in the cash book	Difference in Actual total & total shown in Cash book	Cash book page Num-ber	Remarks Cuttings/overwritings not got attested from Panchayat Pradhan/
(1)	(2)	(3)	(4){2-3}	(5)	(6)
10.05.18	20745/-	20145/-	600/-	27	---------------
04.06.18	------	------	-----	28	Entry of **Rs.11890/-** cutted
23.06.18	------	------	-----	30	Entry of **Rs.8410/-** cutted
09.07.18	111427/-	110248/-	1179/-	30	---------------
12.12.18	330129/-	3301209/-	2971080/-	42	---------------
16.04.19	33492/-	32047/-	1445/-	59	---------------
09.05.19	10397/-	6062/-	4335/-	60	---------------
24.07.19	183742/-	124582/-	59160/-	63	---------------
26.07.19	3982/-	3875/-	107/-	64	---------------
25.10.19	8847/-	3067/-	5780/-	68	---------------
11.11.19	11578/-	11608/-	30/-	69	---------------
13.11.19	50086/-	51784/-	1698/-	69	---------------
13.11.19	------	------	------	69	Several cuttings
10.12.19	------	------	------	71	Entry of **Rs.4335/-** cutted
17.12.19	------	------	------	72	Several cuttings
17.12.19	15816/-	15616/-	200/-	72	---------------
25.12.19	503097/-	503845/-	748/-	73	---------------
09.03.20	------	------	------	79	Several cuttings
20.03.20	6428/-	5428/-	1000/-	80	---------------

Section Officer,
Local Audit Department,
Himachal Pradesh, Shimla-9

[पैरा संख्या : 17 से सन्दर्भित]

परिशिष्ट – 10

(52)

स्टाक सुची ग्राम पंचायत कोरो कैंथडी
दिनाक 31.03. 2020

क0सं0	वस्तु का नाम	मात्रा	स्टाक रजि0 पेज न0	टिप्पणी
1	पेन स्टेड	1	1	सही दशा में
2	पैपर वैट	1	1	सही दशा में
3	पिन कुशन	1	1	मुरम्मत योग्य
4	कुर्सिया बिना बाजु वाली	14	1	सही दशा में
5	कुर्सिया कुशन वाली	7	3	सही दशा में
6	व्हील चेयर 1 फुलबैक 2 स्माल बैक	3	3	सही दशा में
7	कुर्सिया लकडी वाली	1	3	सही दशा में
8	कुर्सिया प्लास्टिक	60	3	सही दशा में
9	कुर्सिया ब्लैक कलर हाईडोलिक	2	3	सही दशा में
10	मेज लकडी	2	4	सही दशा में
11	कम्पुयुटर टेबल	1	4	सही दशा में
12	टेबल स्टील पाईप वाली	1	4	सही दशा में
13	मिंटिग टेबल 6*4 Doneted	2	4	सही दशा में
14	स्टील अलबारी बडी	2	5	सही दशा में
15	स्टील अलबारी छोटी	1	5	सही दशा में
16	डस्टबिन	2	6	सही दशा में
17	बाल्टी	1	6	सही दशा में
18	जग प्लास्टिक व स्त्रील	2	6	सही दशा में
19	सिलाई मशीन	3	7	सही दशा में
20	दरी	2	7	सही दशा में
21	गिलास स्टील के	12	8,16	सही दशा में
22	कप द्बे 1 प्लास्टिक 1 स्त्रील	2	8	सही दशा में
23	आनर बोर्ड	1	9	सही दशा में
24	डिसप्ले बोर्ड	5	9	सही दशा में
25	कैंची	1	10	सही दशा में
26	कार्यालय बोर्ड	1	10	सही दशा में
27	हीटर छोटा	1	12	सही दशा में
28	हीटर पीलर	3	12	सही दशा में
29	कम्पुयुटर LCD Moniter सहित	1	14	सही दशा में
30	पिंटर **DMP Wepro HQ 1070 DX**	1	14	सही दशा में
31	पिंट्रर / स्केनर Canon Imageclass	1	14	सही दशा में
32	पिंट्रर / स्केनर एच0पी0 आफिसजेट 3610	1	14	सही दशा में
33	पिंट्रर / स्केनर एच0पी0 आफिसजेट 1136	1	14	सही दशा में
34	लेपटाप HP	1	14	सही दशा में
35	गैस चुल्हा रैगुलर लैटर सिलैण्डर	1	24	सही दशा में
36	पतीला	1	23	सही दशा में
37	छारना	1	23	सही दशा में
38	स्टील डब्बे	2	23	सही दशा में
39	चाकु	1	23	सही दशा में
40	चम्मच	12	23	सही दशा में
41	परदे	56	24	सही दशा में

सचिव
ग्राम पंचायत, कोरों कैंथड़ी
वि0ख0 सोलन, जि0 सोलन (हि0प्र0)